

<p>तारीख हकम</p>	<p><u>जमाखाल उपखण्ड विभागीय कार्यालय</u> हुकम या कार्यवाही मंत्र इनीशियल जज वरिष्ठ: महावीर कुमार सरकार दि. नम्बर: 52/2016 दाय</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम की ता में जारी हुए</p>
----------------------	---	--

23/01/18

वकील वादी शफीक वकील वकील को
 सुना गया तथा, फावटों का अन्वेषण
 किया गया यह सब गैर खर्चों में
 वादियों को दिये जाते हैं।
 अनुभव यह है कि गण्ड
 गैर खर्चों से वादियों को
 तब तक नहीं मिलेगा जब तक
 प्रकरण में कोई भी दिनांक है कि
 तब तक शफीक को खर्च नहीं
 प्रकरण में खर्चों को खर्चों
 3403 खर्च 03 वीं एव 3404 खर्च
 12 वीं 12 वीं गण्ड अनन्त गण्ड में
 वादियों से विपणन रूप में
 प्राप्त कर, गैर खर्चों से वादियों
 देने के प्रकरण का तीन माह में निष्पत्ति
 करके रिपोर्ट इस कार्यालय जमाखाल
 को भिजवाये। फल खर्चों पर फावटों
 फौजदारी गण्ड के सब दायित्व यह
 वाद वकील को उक्त सुनाया गया

राजस्व लोक अदालत अभियान
 नये आपके द्वार-2016

सुपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)